कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसं/जोध/11/3232 दिनांक 06/07/2021
निमित:

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान

विषयः कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली रोड़ सम्पर्क सड़क हेतु 0.3291 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/RJ/16088/2015) के संबंध में।

संदर्भः– श्रीमान के कार्यालय का संदर्भ एफ 14( )2018/एफसीए/प्रमुवस/ईडीएस II दिनांक 5–2–19 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 4703 दिनांक 23–06–2021, 5093 दिनांक 1–7–21

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र के द्वारा आलौच्य प्रकरण में अधिरोपित आक्षेपों की बिन्दूवार सूचना एवं प्रस्ताव में संशोधित पार्ट–II की पूर्ति कर संशोधित दस्तावेज इस कार्यालय को प्रस्तुत किये है। आक्षेपों की बिन्दूवार सूचना निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्या	ईडीएस	अनुपालना
A- Compliance of EDS Dated 28-09-2016 is awaited:		
1	बिन्दु संख्या 2 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 0.3291 हैक्टर है। अतः संशोधित वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण के स्थान पर ग्राम सभा की अनापत्ति संलग्न की गई है जिसमें वनाधिकार अधिनियम 2006 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	एफआरए 2006 प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में सड़क किनारे दीवार निर्माण का 1490000.00 का प्राक्कलन संलग्न किया गया है जो संबंधित मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराया जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन संलग्न है।
3	बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा गैर वन भूमि (2 बीघा ग्राम सालोड़ी पंचायत समिति मण्डोर एवं 1.10 बीघा ग्राम बावड़ी पंचायत समिति बिलाड़ा) कुल 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि की शर्त अधिरोपित की गई है। इस हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा शर्त की पालना हेतु कोई दस्तावेज (भूमि आरक्षित का आदेश, जमाबंदी) संलग्न नहीं किये गये है।	उप वन संरक्षक, जोधपुर के अनुसार भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एफ.सी.ए. गाईडलाईन के पैरा संख्या 2.6 के अनुसार 1 हैक्टर से कम वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव/प्रकरण में गैर वनभूमि लेने की शर्त प्रस्तावित नहीं है। अतः दस्तावेज संलग्न नही है।
4	बिन्दु संख्या 7 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि के KML File, DGPS Map & GT Sheet संलग्न नहीं किये गए है।	भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एफ.सी.ए. गाईडलाईन के पैरा संख्या 2.6 के अनुसार 1 हैक्टर से कम वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव/प्रकरण में गैर वनभूमि लेने की शर्त प्रस्तावित नहीं है। जिसके कारण संबंधित अभिलेख संलग्न नही है।
B- Additional Information is to be required		
1	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वनभूमि का कार्य आयोजना विवरण अंकित नहीं किया गया हैं।	ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण अंकित कर दिया गया है।

2	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में दुगुने अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण की योजना संलग्न की गई है जबकि इसमें उप वन संरक्षक द्वारा चाही गई गैर वन भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	प्रत्यावर्तन वनभूमि 1 हैक्टर से कम होने पर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शुन्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 0–12 वर्षों तक रख रखाव हेतु विस्तृत प्राक्कलन संलग्न प्रस्तुत है। प्रकरण में गैर वन भूमि लेने की शर्त प्रस्तावित नही होने के कारण सीए–एनएफएल के प्रस्ताव संलग्न नही है।
3	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एफ.सी.ए. गाईडलाईन के पैरा संख्या 2.6 के अनुसार 1 हैक्टर से कम वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव/प्रकरण में गैर वनभूमि लेने की शर्त प्रस्तावित नहीं है।
4	उप वन संरक्षक द्वारा उक्त प्रस्ताव वर्ष सितम्बर 2016 के बाद जनवरी 2016 में भिजवाया गया है। अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मय प्रस्तावित वन भूमि की विधिक स्थिति का उल्लेख करते हुए संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	उक्त बिन्दु की पालना कर फार्म अ पार्ट–II की नवीन एवं संशोधित अपलोड कर 2 प्रतियों में प्रस्ताव संलग्न है। नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
5	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में कोई विकल्प नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	विकल्प प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट–2 के अतिरिक्त सूचनाओं में प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं है।	गजट नोटिफिकेशन संलग्न है।
7	प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों में प्रस्ताव संख्या, प्रस्ताव का नाम, प्रस्तावित वन भूमि, दिनांक अंकित नहीं है।	उक्त बिन्दु की पालना कर फार्म अ पार्ट–II की नवीन एवं संशोधित अपलोड कर 2 प्रतियों में प्रस्ताव संलग्न है।
8	प्रस्तावित सड़क का क्रास सेक्शन	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सडक का क्रास सेक्सन प्रस्तुत किया। जिस पर उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रस्तुत है।
9	प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों की इण्डेक्सिग नही की गई है।	पालना कर दी गई है।

प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा साईट का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट एवं उक्तानुसार अनुपालना रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न प्रस्ताव 2 प्रति में

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसं/जोध/11/3233-34 दिनांक 06/07/21

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचनार्थ।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर